

## हमारे बारे में

विकलांगता-ग्रस्त व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया (पीडब्ल्यूडीए) [People with Disability Australia (PWDA)] विकलांगता-ग्रस्त लोगों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व और पक्ष-समर्थन करने वाला एक राष्ट्रीय संगठन है, जिसका नेतृत्व और प्रशासन विकलांगता-ग्रस्त लोगों द्वारा किया जाता है।

## हम कैसे काम करते हैं

- हम आपको अपनी समस्या का समाधान करने में सहायता देने के लिए जानकारी और सलाह प्रदान करेंगे।
- यदि आपको पहले से ही कोई व्यक्ति सहायता दे रहा है, तो हम उसे आपका पक्ष-समर्थक बनने में सहायता देंगे।
- यदि आपको और अधिक सहायता की आवश्यकता है, तो हम आपकी समस्या देखकर आपको बताएँगे कि हम आपका पक्ष-समर्थन कर सकते हैं या नहीं।
- हम आपकी समस्या के बारे में लोगों से बात करेंगे और इसे हल करने के तरीके खोजने की कोशिश करेंगे। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हो सकती हैं:
  - आपके साथ या आपकी ओर से बैठकों में उपस्थित होना;
  - पत्र लिखना;
  - फोन कॉल करना।
- हम आपको समस्या का समाधान करने में सहायता दे सकते हैं। आपकी समस्या हल हो जाने के बाद हम आपकी फाइल को बंद कर देंगे। कोई दूसरी समस्या पैदा होने पर आप हम से सहायता प्राप्त करने के लिए फिर से निवेदन कर सकते/सकती हैं।

## कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए

- हम पहले आपसे पूछेंगे बिना आपके बारे में कुछ नहीं करेंगे।
- हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी को निजी और गोपनीय रखेंगे। हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी को केवल उन्हीं लोगों के सामने प्रकट करेंगे जिन्हें इसके बारे में जानना आवश्यक होगा। ऐसा करने से पहले हम आपसे पूछेंगे कि यह करना ठीक है या नहीं।
- हम आपकी समस्या का समाधान करने से पहले तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक इसे हल करने के लिए हमारे पास और कोई भी कदम बाकी न रहे।

## हमसे संपर्क करें

आप कार्यदिवसों में सोमवार से शुक्रवार के दिन 9-5 बजे के बीच और बुधवार को शाम 7 बजे तक हमसे फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

**फोन:** 1800 843 929

**ईमेल:** [info@wayfinderhub.com.au](mailto:info@wayfinderhub.com.au)



## व्यक्तिगत पक्ष-समर्थन सेवा (INDIVIDUAL ADVOCACY SERVICE)

Hindi - हिन्दी

क्या आपको किसी समस्या का समाधान करने में सहायता की आवश्यकता है?

हम सहायता कर सकते हैं!

हम विकलांगता-ग्रस्त लोगों को समस्याओं का समाधान करने में सहायता देते हैं, जैसे:

- कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है,
- कोई आपके साथ गैर-कानूनी रूप से भेदभाव करता है,
- आपको अच्छी सेवा नहीं मिल रही है,
- आपको अपनी आवश्यकता की सेवा नहीं मिल पाती है,
- आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ है।

हम किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं?

हम आपको निम्नलिखित बातों में सहायता दे सकते हैं:

- **जानकारी** - आपको अपने अधिकारों और सहायता प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में बताना;
- **सलाह** - अपनी समस्या को स्वयं हल करने के तरीकों के बारे में आपसे बात करना;
- **पक्ष-समर्थन** - अपनी समस्या को हल करने में आपकी सहायता के लिए आपके साथ मिलकर काम करना।

हमारी सेवा निःशुल्क है!

हमारी सेवा का उपयोग कौन कर सकता है?

निम्नलिखित क्षेत्रों में रहने वाला कोई भी विकलांगता-ग्रस्त व्यक्ति हमारी सेवा का उपयोग कर सकता है।

- एनएसडब्ल्यू में कहीं भी रहने वाले व्यक्ति के लिए केंद्रीय सिडनी में स्थित पक्ष-समर्थक;
- एनएसडब्ल्यू के तीन क्षेत्रीय इलाकों - क्वीनबेयन, सदरलैंड और दक्षिणी टेबललैंड्स और दक्षिणी हाइलैंड्स - में रहने वाले व्यक्तियों के लिए स्थानीय पक्ष-समर्थक;
- क्वींसलैंड के पाँच क्षेत्रीय इलाकों - लोगन, फ्रेज़र कोस्ट, सनशाइन कोस्ट, बंडाबर्ग, माउंट ईसा और लोअर गल्फ समुदायों - में रहने वाले व्यक्तियों के लिए स्थानीय पक्ष-समर्थक।

परिवार के सदस्य, देखभालकर्ता, विकलांगता-कर्मि और अन्य लोग भी विकलांगता-ग्रस्त व्यक्ति की सहायता के लिए हमसे निवेदन कर सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति हमसे जानकारी और सलाह के लिए निवेदन कर सकता है।



पक्ष-समर्थक कौन होता है?

पक्ष-समर्थक एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो:

- आपके अधिकारों के लिए खड़ा होता है,
- आपका पक्ष लेता है।

पक्ष-समर्थक:

- आपको स्वयं अपनी समस्या का समाधान करने में सहायता दे सकता है, या
- आपकी समस्या का समाधान करने के लिए कार्य कर सकता है

हम कानूनी सहायता नहीं दे सकते हैं। हम आपको यह बताने में सक्षम हैं कि आपको इस प्रकार की सहायता कहाँ से मिल सकती है।

